



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129579

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-12258 वर्ष 2026

मोहम्मद सुहैल उर्फ अमन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: कृष्ण कांत दुबे, संतोष कुमार दुबे

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थना-पत्र के ज्ञापन में उस तिथि के संबंध में, जिसमें आवेदक के कारागार में निरुद्ध होने की तिथि त्रुटिवश अंकित हो गई है, आवश्यक संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र थाना-सूरियावां, जनपद-भदोही में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-01 वर्ष 2026, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन आवेदक के विरुद्ध गैंग चार्ट में दर्शाए गए छह आपराधिक मामलों के आधार पर प्रारंभ किया गया है, जिन सभी मामलों में संबंधित न्यायालयों द्वारा उसे पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। उक्त आपराधिक मामलों का विवरण जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न शपथ-पत्र के अनुच्छेद-7 में उल्लिखित है। आवेदक किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि दो आधारभूत मामलों के जमानत आदेशों का स्पष्टीकरण अनुपूरक शपथ-पत्र के अनुच्छेद-3 में दिया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि गैंग चार्ट में दर्शाए गए उक्त छह

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आधारभूत मामलों के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 21.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त सुनील कुमार सरोज उर्फ सुशील को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-14661 वर्ष 2026 (सुनील कुमार सरोज उर्फ सुशील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित दिनांक 21.05.2026 के आदेश द्वारा नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का मामला भी उक्त सह-अभियुक्त के समान है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वे इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त को पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

7. गैंग चार्ट से स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध छह आपराधिक मामले अंकित हैं। उक्त सभी मामलों में संबंधित न्यायालयों द्वारा आवेदक को पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त सुनील कुमार सरोज उर्फ सुशील को भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-14661 वर्ष 2026 (सुनील कुमार सरोज उर्फ सुशील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित दिनांक 21.05.2026 के आदेश द्वारा नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है।

8. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथमदृष्टया जमानत प्रदान किए जाने का मामला स्थापित होता है।

9. परिणामस्वरूप, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

10. अभियुक्त-आवेदक **मोहम्मद सुहैल उर्फ अमन** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा अथवा उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न कर दी जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विचारण न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कम्प्यूटर जनित प्रति, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस आशय के अध्याचन के साथ सत्यापित की गई हो कि आदेश की प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाएगी, के आधार पर रिहा किया जाएगा।

13. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत रिहाई आदेश को बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

14. उपर्युक्त टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के उद्देश्य से की गई हैं तथा इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर न्यायालय की किसी राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

दिनांक : 29 जून, 2026
विक्रम

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।